



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255069  
CG-DL-E-02072024-255069

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]  
No. 177]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2024/आषाढ 10, 1946  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2024/ASHADHA 10, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2024

मामला सं - एसएसआर - 14/2024

विषय : कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्योरीफाइड थैरेफथेलिक एसिड" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा.सं. 7/33/2024-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "एडी नियमावली 1995" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे आवेदक भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदक दायर किया है जिसमें कोरिया गणराज्य और थाईलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्योरीफाइड थैरेफथेलिक एसिड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) पर माजूदा पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा की जांच की शुरुआत करने और शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो वह उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना

है। इसी के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

**क. पूर्ववर्ती जांचों की पृष्ठभूमि**

3. चीन पीआर, यूरोपीय संघ, कोरिया पीआर और थाईलैंड, संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा 8 अक्टूबर, 2013 को शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच परिणाम 19 जून, 2014 को जारी हुए थे जिसमें संबंधित संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। पूर्वोक्त सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और दिनांक 25 जुलाई, 2016 अधिसूचना संख्या 36/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया आरपी और थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
4. प्रारंभिक जांच परिणाम में केवल कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के विरुद्ध पुष्टि की गई जबकि यूरोपीय संघ और चीन जन. गण. को पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया क्योंकि इन दोनों देशों से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से कम थी। इस प्रकार अपने अंतिम जांच परिणामों (अधिसूचना संख्या 14/7/2013-डीजीएडी) दिनांक 7 अप्रैल 2015 के माध्यम प्राधिकारी ने केवल कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 23/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 मई, 2015 के माध्यम से लगाया गया।
5. प्राधिकारी ने अधिसूचना एफ. संख्या 7/36/2018-डीजीटीआर दिनांक 31 अक्टूबर 2018 के माध्यम से पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। दिनांक 28 जून, 2019<sup>1</sup> के अपने अंतिम जांच परिणाम द्वारा प्राधिकारी ने आगामी पांच वर्ष की अवधि के लिए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जिसे बाद में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और शुल्कों को आगामी पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 24 जुलाई 2024 तक के लिए अधिसूचना संख्या 28/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जुलाई 2019 के माध्यम से जारी रखा गया। तथापि, इन शुल्कों को केंद्र सरकार द्वारा 03/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 2 फरवरी, 2020 के माध्यम से हटाया गया था।
6. रिलायंस इंडस्ट्री लि० जो पूर्ववर्ती जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा था, ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 की एससीए 9909 में रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती दी। रद्द करने की अधिसूचना को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार संमुक्ति की:

“93 .....

- i. प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 3/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 2 फरवरी, 2020 जिसमें संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को हटाया गया था, को एतद्वारा खारिज किया जाता है और अलग रखा जाता है।
- ii. प्रतिवादी संख्या 02 तत्काल अधिसूचना संख्या 28/2019 – सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जुलाई, 2019 के अनुसार पहले से लागू एडीडी को जारी रखने या अन्यथा के संबंध में निर्णायक समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करेगा, जहां तक अधिसूचना संख्या 28/2016- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जुलाई, 2016 का संबंध है पांच वर्ष की अवधि इस याचिका के लंबित होने के दौरान पूरी हो गई है।
- iii. ....
- iv. चूंकि संख्या 3/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 2 फरवरी, 2020 को अलग कर दिया गया है इसलिए मूल अधिसूचना संख्या 28/2019 – सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जुलाई, 2019 पुनः स्थापित हो जाएगी और जांच के अधीन उत्पाद पर एडीडी लागू हो जाएगा।

<sup>1</sup> कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्योरीफाइड थैरेफथेलिक एसिड के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच ।

7. तदनुसार, आवेदकों ने प्राधिकारी के समक्ष कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से आयातित प्योरीफाइड थैरेफथेलिक एसिड से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

**ख. विचाराधीन उत्पाद**

8. मूल जांच तथा पूर्ववर्ती समीक्षा जांच में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद वही है जो निम्नानुसार है:

*“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद जैसा कि प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया था। प्योरीफाइड थैरेफथेलिक एसिड (पीटीए) है जिसमें इसकी किस्में - मीडिया क्वालिटी थैरेफथेलिक एसिड (एमटीए) और क्वालीफाइड थैरेफथेलिक एसिड (क्यूटीए) शामिल हैं। पीयूसी एक सफेद फ्री फ्लोविंग क्रिस्टलीय पाउडर है जो किसी दृश्य संदूषण से मुक्त है थैरेफथेलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र  $C_6H_4(COOH)_2$  है। यह 402 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध होता है और जल तथा अल्कोहल में कम घुलनशील है पीटीए पोलिस्टर चिप्स के उत्पादन में प्राथमिक कच्ची सामग्री है जिसे बाद में वस्त्र, पैकेजिंग, फर्निशिंग, उपभोक्ता सामान, रेजिन्स और कोटिंग्स के अनेक अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि क्यूटीए, एमटीए और पीटीए रासायनिक रूप से समान उत्पाद हैं और चूंकि इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होता है। इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे में क्यूटीए और एमटीए भी शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उप शीर्ष 29173600 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे में किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।”*

9. चूंकि वर्तमान आवेदन निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए है। इसलिए पीयूसी का दायरा मूल जांच में यथापरिभाषित जैसा ही रहेगा।

**ग. समान वस्तु**

10. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा, वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा से संबंधित है। समान वस्तु के मुद्दे की प्राधिकारी ने पहले ही मूल जांच में और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों में उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

**घ. घरेलू उद्योग और स्थिति**

11. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

*“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।*

12. यह आवेदन मेसर्स एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दाया किया गया है। आवेदकों के अलावा, एक अन्य उत्पादक इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है तो दोनों आवेदकों का एडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार प्रमुख हिस्सा बनता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० और मेसर्स एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड के संबंधित पक्षकार ने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। यह नोट किया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० मेसर्स एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों की मात्रा भारतीय मांग और उत्पादन 1 प्रतिशत से कम है।

13. इसके मद्देनजर, तथा रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है तथा आवेदन 'घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से' किया गया है।

14. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार इन उत्पादकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को भी पूरा करता है। यद्यपि नियम 5(3) की अपेक्षाएं निर्णायक समीक्षा जांच पर लागू नहीं होती हैं।

**ड. संबद्ध देश**

15. वर्तमान जांच में संबद्ध देश कोरिया गणराज्य और थाईलैंड हैं।

**च. पाटन का आधार**

**i. सामान्य मूल्य**

16. आवेदकों ने अपने आवेदन में बताया है कि संबद्ध वस्तु की कीमतों संबंधी सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, पीयूसी का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड नहीं है। इसलिए संबद्ध वस्तु की संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात कीमत पर भी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु भरोसा नहीं किया जा सकता है। जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर भारत में देय कीमत तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ने के बाद संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

**ii. निर्यात कीमत**

17. आवेदकों ने बाजार आसूचना के आधार पर सीआईएफ निर्यात कीमत का दावा किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के आधार पर आयात कीमत पर विचार किया है। कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए मालभाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार के लिए समायोजन किए गए थे।

**iii. पाटन मार्जिन**

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वारा स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करता है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।
19. यथा परिकलित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है क्योंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से सूचना और साक्ष्य की प्राप्ति के बाद पाटन की संभावना भी निर्धारित करेंगे।

**छ. क्षति और पाटन तथा क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति की संभावना**

20. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में पीओआई में समग्र तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में आवेदकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु में आवेदकों की कीमतों का हास / न्यूनीकरण किया है। आवेदकों के लाभ में गिरावट आई है।
21. आवेदकों ने संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताओं, और अधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं और संबद्ध देशों में उत्पादकों के निर्यातोन्मुख होने, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचार उपायों को लागू करना और इन निर्यातों के कारण संभावित क्षति संबंधी सूचना दी है ताकि क्षति की संभावना को सिद्ध किया जा सके।
22. आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना प्रथमदृष्ट्या संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति और पाटनरोधी शुल्क हटने पर घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

**ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत**

23. आवेदक के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन तथा क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी

एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

### झ. जांच की अवधि (पीओआई)

24. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) की है। जांच के लिए क्षति अवधि में वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-2023 और जांच की अवधि शामिल होगी।

### ञ. प्रक्रिया

25. इस निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करने वाली फा.सं. 7/36/2018-डीजीटीआर दिनांक 31 अक्टूबर 2018 के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे।

26. एडी नियमावली 1995 के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

### ट. सूचना प्रस्तुत करना

27. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) और [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) जिसकी एक प्रति [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) और [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

28. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वेबसाइट (<http://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

### ठ. समय सीमा

32. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को एडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा परिचालित आवेदन के अगोपनीय अंश जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) और [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) तथा उसकी प्रति [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) और [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in) को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

**ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

34. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली 1995 के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
35. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और गोपनीयता का दावा की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है और एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।
38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ के अगोपनीय अंश के प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।
39. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या एडी नियमावली 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारण के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
40. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

**ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

41. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोध/ उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

**ण. असहयोग**

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तर्कसंगत अवधि या समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2024

**Case No. SSR-14/2024**

**Subject: Initiation of Sunset Review Investigation concerning imports of “Purified Terephthalic Acid” originating in or exported from the Republic of Korea and Thailand**

**F. No. 7/33/2024-DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "AD Rules, 1995"), M/s Reliance Industries Ltd. and M/s MCPI Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the “applicants”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) seeking initiation of sunset review investigation and the continuation of extant anti-dumping duties on imports of purified terephthalic acid (hereinafter referred to as the “subject goods”, or “the product under consideration”), originating in or exported from the Republic of Korea and Thailand (hereinafter referred to as the “subject countries”)

2. In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

**A. BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATIONS**

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the China PR, European Union, Korea PR and Thailand was initiated by the Authority on October 8, 2013. The preliminary findings was issued on June 19, 2014 recommending imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the concerned subject countries. The aforesaid recommendation was accepted by the Central Government and vide notification no. 36/2014-Customs (ADD) dated 25<sup>th</sup> July 2014, provisional anti-dumping duties were imposed on the subject goods originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP and Thailand.
4. The preliminary findings were confirmed only against Korea RP and Thailand whereas European Union and China PR were excluded from the purview of anti-dumping duties as the volume of imports from the two countries was below de minimis level. Thus, through its final findings (Notification No. 14/7/2013-DGAD) dated 7<sup>th</sup> April 2015, the Authority recommended imposition of anti-dumping duties only against Korea RP and Thailand which were subsequently imposed by the Central Government vide notification no. 23/2015-Customs (ADD) dated 27<sup>th</sup> May, 2015.
5. The Authority initiated the first sunset review investigation *vide* Notification F. No. 7/36/2018-DGTR dated 31<sup>st</sup> October 2018. Through its final findings dated 28<sup>th</sup> June 2019<sup>2</sup>, the Authority recommended continuation of the existing anti-dumping duties for another prospective period of 5 years which was subsequently accepted by the Central Government and duties were continued *vide* notification no. 28/2019-Customs (ADD) dated 24<sup>th</sup> July 2019 for a period of 5 years, i.e. upto 24<sup>th</sup> July, 2024. However, these duties were rescinded by the Central Government *vide* no. 03/2020-Customs (ADD) dated February 2, 2020.
6. Reliance Industries Limited, which was part of the domestic industry in the previous investigation, challenged the rescission notification before the Hon'ble High Court of Gujarat in SCA 9909 of 2020. While quashing the rescission notification, the Hon'ble High Court observed as under:

“93 .....

- i. The Notification No.3/2020-Customs (ADD) dated February 2, 2020 issued by respondent no.1 rescinding the anti-dumping duty on subject goods is hereby quashed and set aside.*

<sup>1</sup> [Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of Purified Terephthalic Acid, originating in or exported from Korea RP and Thailand.](#)

- ii. Respondent no.2 shall immediately proceed to initiate Sunset review process in relation to the continuance or otherwise of the ADD already levied as per Notification No.28/2019 – Customs(ADD) dated 24th July, 2019. So far as Notification No.28/2016- Customs(ADD) dated 5th July, 2016, the period of five years is over during the pendency of this petition.
- iii. ....
- iv. As the No.3/2020-Customs (ADD) dated February 2, 2020 is set aside, the original Notification No.28/2019 – Customs(ADD) dated 24th July, 2019 shall revive and ADD shall become leviable on the product in question.  
... ”

7. Accordingly, the applicants have brought before this Authority an application to seek initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of purified terephthalic acid imported from Korea RP and Thailand.

#### **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

8. The product under consideration is same as defined in the original and previous review investigation which is as follows:

*“The product under consideration in the present investigation, as defined by the Authority in the initiation notification is Purified Terephthalic Acid (PTA), including its variants - Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA). The PUC is a white, free flowing crystalline powder, free from any visual contamination. Terephthalic Acid is an organic compound whose chemical formula is C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(COOH)<sub>2</sub>. It sublimes at 402oC and is poorly soluble in water and alcohol. PTA is primary raw material in the manufacture of polyester chips which in turn is used in a number of applications in textile, packaging, furnishings, consumer goods, resins and coatings. Since QTA, MTA and PTA are chemically the same product and further since they are interchangeably used, the scope of the product under consideration covers QTA and MTA as well. The product under consideration is classified under subheading 2917 36 00 of the Customs Tariff Act. However, the customs classification is indicative only and in no way it is binding on the scope of the present investigation.”*

9. As the present application is for initiation of a sunset review investigation, the scope of the PUC remains as defined in the original investigation.

#### **C. LIKE ARTICLE**

10. The applicants have claimed that there is no significant difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Further, the present application pertains to sunset review for the continued imposition of anti-dumping duties. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well as the previous sunset review investigation. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject countries.

#### **D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

11. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

*“domestic industry’ means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry ”*

12. The application has been filed by M/s MCPI Pvt. Ltd. and Reliance Industries Limited. Apart from the applicants there is one another producer, Indian Oil Corporation Limited. The two applicants constitute



'major proportion' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. Reliance Industries Limited as well as a related party of M/s MCPI Pvt. Ltd., has imported the subject goods from the subject countries during the POI. It is noted that the volume of imports made by Reliance Industries Limited and M/s MCPI Pvt. Ltd., is less than 1 percent of the Indian demand as well as production.

13. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry'.
14. As per evidence available on record, the production of these producer accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. Further, the application also satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), even though the requirements of Rule 5(3) are not applicable in sunset review investigation.

#### **E. SUBJECT COUNTRIES**

15. The subject countries in the present investigation are Korea RP and Thailand.

#### **F. BASIS OF DUMPING**

##### **i. Normal value**

16. The applicants have stated in their application that information regarding prices of the subject goods is not available in the public domain. Moreover, the PUC does not have a dedicated customs classification code, therefore, export price for subject goods to third countries from the subject countries could also not be relied upon for determination of the normal value. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value for the subject countries based on the price payable in India based on the cost of production in India and after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

##### **ii. Export Price**

17. The applicants have claimed CIF export price based on market intelligence. The Authority has considered import price based on DG Systems data. Adjustments on account of freight, insurance, commission, port expenses and bank charges were made to arrive at ex-factory export price.

##### **iii. Dumping margin**

18. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the product under consideration imported from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market by the exporters from the subject countries.
19. Based on the normal value and the export price as computed, it is seen that the dumping margin is positive. Since the present investigation is a sunset review investigation, the Authority shall also determine likelihood of dumping after receipt of information and evidence from the interested parties.

#### **G. INJURY AND THE LIKELIHOOD OF CONTINUATION/RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

20. The volume of imports from the subject countries have increased in absolute as well as relative terms in the POI. The market share of the applicants has declined in the POI as compared to base year despite an increase in demand. Price undercutting from the subject countries is positive. Further, the subject goods from the subject countries have depressed/suppressed the prices of the applicants. There has been a decline in profits of the applicants.
21. The applicants have provided information on surplus capacities in the subject countries, further freely disposable capacities and export orientation of the producers in the subject countries, attractiveness of Indian market, imposition of trade remedial measures by other nations and likely injury due to these exports as basis to establish the likelihood of injury.
22. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows recurrence of dumping from the subject countries and the likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duties.

#### **H. INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION**

23. On the basis of the duly substantiated application of the applicants, and having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the

duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**I. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)**

24. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2023 to 31<sup>st</sup> March 2024 (12 months). The injury period for the investigation will cover the periods FY 2020–21, FY 2021-22, FY 2022-2023 and the period of investigation.

**J. PROCEDURE**

25. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide F.No. 7/36/2018-DGTR dated 31<sup>st</sup> October 2018 recommending the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
26. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the AD Rules, 1995 shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

**K. SUBMISSION OF INFORMATION**

27. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) with a copy to [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) and [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in). It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
28. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
29. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
30. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
31. Interested parties are further directed to keep regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

**L. TIME LIMIT**

32. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email address [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) with a copy to [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) and [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in) within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application is circulated by the Authority as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
33. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

**M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

34. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
35. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where

indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

37. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the documents.
39. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

**N. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

41. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non- confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

**O. NON-COOPERATION**

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority